03 एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात एन्टी करप्शन ब्यूरो के गठन से संबं धत अ धसूचना क्रमांक 8-2/2003/1-6 दिनांक 27 फरवरी 2003 को प्रका शत हुई थी एवं छत्तीसगढ़ वशेष पु लस स्थापना (निरसन) अ धनियम 2003 दिनांक 29 मई 2003 के प्रकाशन द्वारा वशेष पु लस स्थापना का निरसन कया गया । वर्तमान एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन वभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-20/2002/1/6, दिनांक 31.7.2003 के द्वारा अस्तित्व में आया । एन्टी करप्शन ब्यूरो के अन्तर्गत पूर्व के अनुसार ही रायपुर , बिलासपुर एवं बस्तर कार्यालय कार्य कर रहे है । ब्यूरो का प्रशासनिक नियंत्रण सामान्य प्रशासन वभाग के अन्तर्गत है ।

ब्यूरो के कार्य का संचालन निदेशक स्तर के अ धकारी द्वारा कया जाता है । वर्तमान में इस पद पर भारतीय पु लस सेवा के अतिरिक्त पु लस महानिदेशक श्री मुकेश गुप्ता पदस्थ है। इनकी सहायता हेतु मुख्यालय रायपुर में एक पु लस अधीक्षक श्री मनीष शर्मा पदस्थ हैं । ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में है ।

अपराधों के अन्वेषण का अ धकार छ 0ग0शासन की अ धसूचना क्रमांक- 8 -2/2003/1-6 दिनांक 27 फरवरी 2003 द्वारा प्रदत्त है। उक्त अ धसूचना में व र्णत व भन्न अ धनियमों के अपराधों के अन्वेषण का अ धकार ब्यूरो में पदस्थ पु लस अ धकारियों को प्राप्त है ।

एन्टी करप्शन ब्यूरो,छत्तीसगढ़

पद-संरचना की जानकारी;**31.12.2017** की स्थिति में)

वभाग का नाम - सामान्य प्रशासन वभाग

वभागाध्यक्ष का नाम - अतिरिक्त पु लस महानिदेशक ,एन्टी करप्शन ब्यूरो,छ0ग0,रायपुर

मांग संख्या - 01 सामान्य प्रशासन वभाग

मुख्य शीर्ष - 2055 (पु लस)

उप मुख्य शीर्ष - 00/ सगमेंट कोड - 0000 आयोजनेत्तर

लघु शीर्ष - 101) अपरा धक अन्वेषण और सतर्कता

योजना क्रमांक - 5461/एन्टी करप्शन ब्यूरो,

क्र0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
01	पु लस अधीक्षक	15600-39100 +7600	1	1	-
02	पु लस उप अधीक्षक	15600-39100+5400	8	6	2
03	उप संचालक अ भयोजन	15600-39100 +6600	1	0	1
04	जिला अ भयोजन अ धकारी	9300-34800 +4400	3	1	2
05	सहा.जिला लो.अ भ.अ धकारी	9300-34800 +4400	1	1	-
06	अनुभाग अ धकारी	9300-34800 +4400	1	1	-

07	सहायक अधीक्षक	9300-34800+4200	1	1	-
08	शीघ्रलेखक-3	5200-20200+2800	3	3	-
09	स्टेनो टाय पस्ट	5200-20200 +1900	3	2	1
10	सहायक ग्रेड-1	9300-34800+4200	3	2	1
11	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	5	4	1(1बैकलाक)
12	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	10	6	4
13	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200 +2400	5	-	5
14	कम्प्युटर आपरेटर	5200-20200+1900	1	-	1
15	निरीक्षक	9300-34800+4300	13	13	-
16	उप-निरीक्षक	9300-34800+4200	3	1	2
17	सहायक उप-निरीक्षक	5200-20200+2400	1	-	1
18	प्रधान आरक्षक	5200-20200+2200	3	-	3
19	आरक्षक	5200-20200+1900	20	12	8
20	प्रधान आरक्षक ;एमटीओ.)	5200-20200+2200	1	1	-
21	आरक्षक (कोर्ट मोहर्रिर)	5200-20200+1900	2	2	-
22	आरक्षक (चालक)	5200-20200+1900	1	1	-
23	वाहन चालक	5200-20200+1900	3	2	1
24	वाहन चालक ;दै0वे0भो0)	कलेक्टर दर पर	6	-	6
25	भृत्य	4750 – 7440+1300	7	5	2
26	फर्राश	4750 – 7440+1300	2	1	1
27	स्वीपर	कलेक्टर दर पर पार्ट टाईम	4	2	2
	योगः-		112	68	44

वर्ष में सम्पादित कार्य - **2017**

छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरों द्वारा वर्ष में (दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक) सम्पादित कार्यो का ववरण निम्नानुसार हैः-

दिनांक **01.01.2017** से **31.12.2017** तक

प्रकरण	दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या			दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक पंजीबद्ध प्रकरणों	कुल संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	31.12.2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या		
अपराध	129			27	156	45	111		
	ववेचनाधीन	अ भयोजन	अ भयोजन				ववेचनाधीन	अ भयोजन	अ भयोजन

		स्वीकृति हेतु	स्वीकृति प्राप्ति बाद न्यायालय चालान पेश करने हेतु लंबित प्रकरण					स्वीकृति हेतु	स्वीकृति प्राप्ति बाद न्यायालय चालान पेश करने हेतु लंबित प्रकरण
	80	27	22				70	18	23
प्राजॉ.	27			05	32	01	31		
न्यायालयीन प्रकरण	332			45-03	377	81	296		

इस वर्ष पंजीबद्ध 27 अपराधों में से 16 प्रकरण ट्रेप के, 11 प्रकरण अनुपातहीन संपत्ति से संबं धत है।

उपरोक्तानुसार ववेचना में लंबित 70 प्रकरण हैं । 18 प्रकरण अ भयोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं जिनमे से शासन के पास 16 एवं अन्य वभागों के पास 2 प्रकरण लंबित है। 42 प्रकरण में अ भयोजन स्वीकृति प्राप्ति बाद न्यायालय में चालान पेश कया गया है। 03 प्रकरण में न्यायालय में खात्मा स्वीकृति हेतु पेश कया गया जिनकी स्वीकृति न्यायालय से खात्मा हेतु लंबित है । 04 प्रकरण में खात्मा का निर्णय लया गया है तथा खात्मा पेश करने हेतु लंबित है। 15 प्रकरण में अ भयोजन स्वीकृति बाद चालानी कार्यवाही की जा रही हैं। छ0ग0 राज्य के व भन्न वशेष न्यायालयों में कुल 296 मामले लंबित हैं जिनमें से 272 मामले वचारण में तथा 24 मामले खात्मा स्वीकृति हेतु लंबित है। उपरोक्त द र्शत न्यायालय से निराकृत 81 प्रकरणों में से 39 प्रकरणों में आरो पयों को दोष सद्ध कया गया है ।

<u>दिनांक **01.01.2017** से दिनांक **31.12.2017** तक पंजीबद्ध टे्रप प्रकरणों का सं क्षप्त ववरण-</u>

<u>ट्रेप के प्रकरण</u>

(1) दिनांक 11.04.2017 को आरोपी श्रीमती लता सक्सेना , पटवारी, प.ह.न.-47, तहसील पथौरा, जिला-महासमुंद (छ0ग0) को प्रार्थी श्री देवेन्द्र नायक , निवासी- भगत देवरी , तहसील पथौरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.) की भू म का पटवारी अ भलेख में नामांतरण कराने एवं ऋण पुस्तिका में इंद्राज कराने के एवज में 4000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक-13/2017 धारा 7, 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर , ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0 शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से अ भयोजन स्वीकृति प्राप्त कर चालानी कार्यवाही की गई है।

(2) दिनांक 17.04.2017 को आरोपी श्री ओमप्रकाश खाण्डेकर, माईनिंग इस्पेक्टर, कार्यालय कलेक्टोरेट खनिज शाखा बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को प्रार्थी मो. जमील अंसारी, निवासी- ग्राम-दारसाग, तहसील- कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) से 10000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया । अपराध क्रमांक- 14/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज

कर, ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0 शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग , मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर से अ भयोजन स्वीकृति प्राप्त कर चालानी कार्यवाही की गई है।

(3) दिनांक 29.04.2017 को आरोपी श्री जनक राम साहू , पटवारी, प0ह0न0-22, तहसील- डोंगरगढ़ , जिला-राजनांदगावं (छ.ग.) को प्रार्थी श्री कामता प्रसाद साहू , ग्राम करवारी, तहसील व थाना डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगाव (छ.ग.) के 22 डसमील जमीन का प्रमाणीकरण करने के एवज में 5000/रू. रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था। अपराध क्रमांक- 16/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर , ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से अ भयोजन स्वीकृति प्राप्त कर चालानी कार्यवाही की गई है।

(4) दिनांक 31.05.2017 को आरो पयों (1) श्री अनील कुमार बावनगड़े, राजस्व निरीक्षक, उप तहसील अहिवारा, जिला-दुर्ग (2) श्री गुलशन कुमार चोपड़ा , पटवारी, प0ह0न0-28, मुख्यालय ग्राम-अहेरी उप तहसील अहिवारा , जिला-दुर्ग (छ.ग.) (3) (प्रायवेट व्यक्ति) श्री नरेश कुमार कुर्रे (छ 0ग0) को प्रार्थी श्री राज कशोर बेहरा भलाई नगर , जिला-दुर्ग के बड़े पता भास्कर के 06 एकड़ जमीन का सीमांकन करने के एवज में 12000/-रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया । अपराध क्रमांक- 18/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 दर्ज कर, ववेचना उपरांत प्रमुख स चव, छ0ग0 शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(5) दिनांक 12.06.2017को आरोपी श्री उकेश्वर साहू , रोजगार सहायक , ग्राम-टेडेसरा, थाना-सोमनी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को प्रार्थी श्री मान संह साहू, ग्राम- टेडेसरा, थाना- सोमनी, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माण हुये मकान की रिपोर्ट बनवाने एवं शेष 26000/-रू. की तृतीय कश्त दिलवाने के एवज में 10000/-रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया । अपराध क्रमांक- 19/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 दर्ज कया गया। आरोपी सेवा से बर्खास्त हो जाने के कारण अ भयोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से सीधे चालानी कार्यवाही की गई है।

(6) दिनांक 22.07.2017 को आरोपी श्री कुमदो ऊर्फ कोमदो सोलंकी , ल पक, कार्यालय जिला आयुर्वेद अ धकरी , दंतेवाड़ा (छ.ग.) एवं सह आरोपी डॉ. प्रकाश संह , जिला-आयुर्वेद अ धकारी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) को प्रार्थी डॉ. रंगदास शुक्ल ,, सेवानिवृत्त आयुर्वेद च कत्सा अ धकारी , निवासी- ग्राम-गाहूर , पोस्ट बरगढ़ (मनका) जिला- चत्रकूट से समयमान वेतनमान लगाने के एवज में 5000/-रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया । अपराध क्रमांक- 21/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 दर्ज कया गया। प्रकरण वर्तमान में ववेचनाधीन है।

(7) दिनांक 22.07.2017 को आरोपी श्री कुमदो ऊर्फ कोमदो सोलंकी , ल पक, कार्यालय जिला आयुर्वेद अ धकरी , दंतेवाड़ा (छ.ग.) एवं सह आरोपी डॉ. प्रकाश संह , जिला-आयुर्वेद अ धकारी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) को प्रार्थी श्री देवलाल रावत , फार्मा सस्ट, शासकीय आयुष पॉलीक्लीनिक , कार्यालय जिला आयुर्वेद अ धकारी दंतेवाड़ा , से फार्मा सस्ट संवर्ग के वेतनमान में संसो धत आदेश के एरियस भूगतान करवा देने के एवज में 2000/-रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया। अपराध क्रमांक-22/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 दर्ज कया गया। प्रकरण वर्तमान में ववेचनाधीन है।

(8) दिनांक 11.08.2017 को आरोपी श्री वनोद गुप्ता , मुख्य कार्यपालन अ धकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग , जिला-दुर्ग को प्रार्थी श्री अजय संह, शक्षक नगर कोहका, भलाई जिला- दुर्ग से जिला सहकारी बैंक मयादित दुर्ग का स्टेशनरी छपाई के कार्य के बिल भुगतान के एवज में 27000/-रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया । अपराध क्रमांक- 23/2017 धारा 7

13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 दर्ज कया गया। आरोपी सेवा से निवृत्त हो जाने के कारण अ भयोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से सीधे चालानी कार्यवाही की गई है।

(9) दिनांक 21.09.2017 को आरोपी श्री ऐन. प्रसाद शर्मा , स चव, ग्राम- पंचायत, मुरई, वकास खण्ड- छुईखदान , जिला- राजनांदगांव को प्रार्थी श्री देव कुमार तिवारी ग्राम मुरई , वकास खण्ड- छुईखदान , जिला- राजनांदगांव से प्रार्थी की मां शंकुन्तला तिवारी, के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत भवन निर्माण हेतु 148000 रू. स्वीकृत रा श के भुगतान के एवज में 10000/-रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया । अपराध क्रमांक- 26/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर, ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग , मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(10) दिनांक 27.09.2017 को आरोपी (1) श्री अरूण साहा, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय जिला आयुर्वेद अ धकारी, दुर्ग एवं (2) श्री दिलीप कुमार, चपरासी, कार्यालय जिला आयुर्वेद अ धकारी दुर्ग को प्रार्थी श्री दीपक कुमार यादव, औषधालय सेवक की परिवीक्षा अव ध पूर्ण होने पर निय मतिकरण करने तथा नियमानुसार वेतन की बढ़ौत्री करने के एवज में 5000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया। अपराध क्रमांक- 27/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कया गया। ववेचना उपरांत प्रमुख स चव, छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(11) दिनांक 06.10.2017 को आरोपी (1) श्री सैय्यद आरिफ ईकबाल, सहायक ग्रेड-02,, एस.डी.एम. कार्यालय, डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव,एवं (2) श्री आर. बी. देवांगन , एस.डी.एम., डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव को प्रार्थी मनीष ठाकुर , ग्र्राम-उरई डबरी, जिला-राजनांदगांव से सालवंेसी बनाकर देने के एवज में 11,000 /- रूपये रिश्वत लेेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक- 29/2017 धारा 7, 8, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 सहपठित धारा 120बी, भा.द. व. का अनुसंधान पूर्ण कर आरो पयों को अ भयोजित करने हेतु प्रमुख स चव , छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(12) दिनांक 10.10.2017 को आरोपी श्री घनश्याम प्रसाद कंडरा , वरिष्ठ लेखापाल, छत्तीसगढ़ राज्य वन वकास निगम कार्यालय, मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना , जिला-कबीरधाम को प्रार्थी पी.डी.एस.चैहान , सेवा निवृत्त सहायक परियोजना परिक्षेत्र अ धकारी, छ.ग. वन वकास निगम कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा जिला-कबीरधाम से उसका पेशन प्रकरण बनाने के लए 8000/- रूपये रिश्वत लेते रंगें हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक- 30/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर, ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग , मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(13) दिनांक 10.10.2017 को आरोपी श्री गुणेश वैष्णव , ऑ डटर, कोऑपेरटिव सोसायटी कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार, को प्रार्थी श्री मनोज कुमार दिवाकर , स मति प्रबंधक, सहकारी स मति मर्यादित खैरा, जिला- बलौदाबाजार से सहकारी स मति की वा र्षक ऑ डट रिपोर्ट में प्रतिकूल टीप न लखने के एवज में 7000/-रूप्ये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। अपराध क्रमांक- 31/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर, ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0 शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग , मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(14) दिनांक 27.10.2017 को आरोपी श्री वनय केसरिया (सोनकर) पटवारी , प.ह.न.-24, ग्राम पंचायत कोडेवा , रा.नि.मं. अर्जुन्दा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को प्रार्थी श्री होमन लाल गोरे, ग्राम- खुटेरी, जिला- बालोद से राजस्व अ भलेखों में सुधार एवं पर्ची की जमीन कम्प्यूटर में चढ़ाने के एवज में 25,000/-रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक- 32/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर , ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(15) दिनांक 31.10.2017 को आरोपी कुमारी नन्दा साहू , पटवारी, प.ह.न.-33, राजस्व निरीक्षक मण्डल कोमाखान , तहसील बागबाहरा, जिला-महासमुंद प्रार्थी श्री नागेन्द्र संह ठाकुर , ग्राम पोस्ट-कोमाखान, जिला-महासमुंद से प्रार्थी की जीर्ण-शीर्ण ऋण-पुस्तिका के बदले नयी ऋण-पुस्तिका जारी करने के एवज में 10,000/-रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। अपराध क्रमांक-33/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर , ववेचना उपरांत प्रमुख स चव , छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

(16) दिनांक 09.11.2017 को आरोपी श्री चंदन टंडन , सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अ धकारी , कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा, एवं पेशन रायपुर को प्रार्थी श्री सुनील कुमार सोनबरसे , सहायक ग्रेड-02, कार्यालय उप संचालक पशु च कत्सा सेवाएं गरियाबंद से कार्यालय में पदस्थ अ धकारियों एवं कर्मचारियों की 20 नग सेवा पुस्तिका में पुनर क्षत 7 वें वेतनमान के सत्यापन हेतु 10000/-रू. रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक- 35/2017 धारा 7 13(1)डी, 13(2) पीसीएक्ट 1988 दर्ज कर, प्रमुख स चव, ववेचना उपरांत छ0ग0शासन, व ध एवं वधायी कार्य वभाग , मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को अ भयोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है।

अनुपातहीन सम्पत्ति के प्रकरण

(1) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री अ वनाश गुंजाल, सहायक संचालक , औद्यो गक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 2,10,13,259/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमांक- 03/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज दर्ज कया गया । प्रकरण ववेचनाधीन है ।

(2) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री सुभाष गंजीर , जिला शक्षा अ धकारी, दंतेवाड़ा (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 4,29,94,244/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमंाक- 04/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया । प्रकरण ववेचनाधीन है ।

(3) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री एस.के. चन्द्रा , कार्यपालन अ भयंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वभाग , कोरबा (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 1,48,00,000/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमांक- 05/2017 धारा 13(1)ई,13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया । प्रकरण ववेचनाधीन है ।

(4) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री एम.एल. पाण्डेय , अपर संचालक , समाज कल्याण संचालनालय रायपुर (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई ,

जिसमें लगभग 10,36,00,000/-रूपयेकी सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमंाक- 06/2017 धारा 13(1)ई,13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया । प्रकरण ववेचनाधीन है ।

(5) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, ईई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिलासपुर (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 3,10,00,000/-रूपयेकी सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमांक- 07/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया । प्रकरण ववेचनाधीन है ।

(6) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री रामेश्वर प्रसाद साहू , एस.डी.ओ. वन वभाग बैकुण्ठपुर , जिला- कोरिया (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 4,58,48,860/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमांक- 08/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया। प्रकरण ववेचनाधीन है।

(7) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री ए.के. तम्बोली, सहायक खाद्य अ धकारी, बिलासपुर (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 1,29,72,250/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमंाक- 09/2016 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया। प्रकरण ववेचनाधीन है।

(8) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री श्रवण संह , नोडल अ धकारी, कोआपरेटिव बैंक, जांजगीर चांपा (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 1,87,93,700/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमांक- 10/2017 धारा 13(1)ई,13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया। प्रकरण ववेचानाधीन है।

(9) दिनांक 14.02.2017 को आरोपी श्री सा लक राम वर्मा , संयुक्त संचालक कृ ष (जी.डी.ए.) , डायरेक्टर प्र शक्षण एकादमी लभाण्डी एवं प्रभारी रजिस्ट्रार छ.ग. कृ ष वश्व वद्यालय रायपुर (छ.ग.) के वरूद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर छापा की कार्यवाही की गई , जिसमें लगभग 33,74,310/- रूपये की सम्पत्ति प्रकाश में आयी। अपराध क्रमांक-11/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया। प्रकरण ववेचानाधीन है।

(10) दिनांक 20.04.2017 को आरोपी श्री रामकरण कुम्हार , कार्यपालन अ भयंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण वभाग , संभाग जगदलपुर से दिनांक 10.11.2015 को कांकेर पु लस के क्राईम स्कवाड़ द्वारा चे कंग के दौरान नकद रा श 11,00,000/- रू. बरामद कर जप्त कर आयकर वभाग को सू चत कया। आयकर वभाग द्वारा आवश्यक जांच कार्यवाही की गई । पश्चात् आयकर वभाग ने उक्त प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु एन्टी करप्शन ब्यूरो को भेजा । एन्टी करप्शन ब्यूरो , रायपुर द्वारा जांच में यह प्रमा णत पाया गया क श्री रामकरण कुम्हार , कार्यपालन अ भयंता राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर छ.ग. दिनांक 10.11.2015 को वाहन क्रमांक- सी.जी.- 17/के.एच.-9814 में सवार होकर जगदलपुर से रायपुर आते समय कांकेर में चे कंग के दौरान मले नकदी 11,00,000/-रूपये अवैध रूप से अर्जित की गई अघो षत एवं असमानुपातिक सम्पत्ति पाई गयी एवं उनके मत्र श्री दिनेश जैन उर्फ बंटी के द्वारा षड़यंतपूर्वक जांच एजें सयों के समक्ष झूठा कथन करने का कृत्य प्रमा णत पाए जाने से उनके वरूद्ध दिनांक 20.04.2017 को अपराध क्रमांक- 15/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भाद व. पंजीबद्ध कर ववेचना मंे लया गया है। प्रकरण वर्तमान में ववेचाधीन है।

(11) दिनांक 14.10.2017 को क्राईम ब्रांच मुंगेली की टीम द्वारा मोटरसायकल क्रमांक-सीजी-10, ई-0380 को रोक कर उसमें सवार श्री संतोष कुमार रात्रे, अमीन पटवारी, जल संसाधन वभाग संबद्ध रीडर एसडीएम कार्यालय पथरिया को चेक कया गया तो उसके पास रखे हुए कैरी बैग कुल 12,96,500/-रूपये बरामद हुए। बरामद रकम के संबंध में श्री संतोष कुमार रात्रे द्वारा संतोष जनक जवाब न दिये जाने से उक्त रकम को जप्त कया गया। प्रकरण अ ग्रम कार्यवाही हेतु पु लस अधीक्षक मुंगेली द्वारा एसीबी रायपुर को भेजा गया । प्रथम दृष्टया धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी के वरूद्ध अपराध क्रमांक- 33/2017 धारा 13(1)ई, 13(2) पी0सी0एक्ट 1988 दर्ज कया गया । प्रकरण ववेचनाधीन है ।